संख्या–2979/9–आ–1–99/213–डी.ए./94

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2.उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3.अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 10 सितम्बर, 1999

विषय : उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणकी योजनाओं पर आवंटित भूखण्डों/भवनों का फ्री–होल्ड में परिवर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1639/9–आ–1–95–80 मिस/86, दिनांक 10 मई,1995 तथा आंशिक संशोधन संख्या–1778/9–आ–1–93–293 डी.ए./94, दिनांक 24.5.95 के प्रस्तर 2(2), जिसमें लीज रेन्ट जमा करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 23.10.1986 के प्रस्तर–1 की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं, कि ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसे मामलों में जिसमें 90 वर्ष से अधिक 999 वर्ष तक की लीज की शर्ते हैं, के फ्री–होल्ड करने में विकास प्राधिकरणों द्वारा आवेदकों से निम्नानुसार शुल्क जमा कराया जाएगा :–

(1) एकमुश्त लीज रेन्ट क्षतिपूर्ति रजिस्ट्रेशन मूल्य का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत)।
(2) अन्य हानियां जैसे कि विक्रय शुल्क, इत्यादि की क्षतिपूर्ति हेतु रजिस्ट्रेशन मूल्य का 02 प्रतिशत (दो प्रतिशत)।

कृपया उक्त का व्यापक प्रचार करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव